प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन
आयोजनागत–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001010300

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
छत्रपति शाहूजी महाराज नगर।

संख्या 1/शा0/64/2012–1/24/2012 : लखनऊः दिनांक 09 अगस्त, 2012

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिला पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– आयोजनागत–101–पंचायती राज–03–जिला पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक विशेष सचिव पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1793/33–3–2012–100(17)/2011, दिनांक 26 जुलाई, 2012 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नवसृजित जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर में जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय की स्थापना हेतु सृजित पदों के वेतनादि मद में व्यय हेतु धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार **₹ 726000/–(₹ सात लाख छब्बीस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– यह ध्यान रहे कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी भी प्रकार के व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है। आहरण के पूर्व अन्य संगत नियमों/निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

2– **वेतन भत्ते आदि का आहरण सृजित पद के सापेक्ष ही किया जाय।**

3– आवंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्ति करने के उपरान्त ही किया जाये। कृपया सुनिश्चित किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/12 भाग ही हो यदि किसी माह में 1/12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व निदेशालय की अनुमति प्राप्त किया जाय। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एंव अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। किसी प्रकार के अधिक व्यय के लिये अथवा अनाधिकृत व्यय के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। बजट की किसी भी ऐसी प्राथमिक इकाईयां लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाये जिसके लिये बजट में प्राविधान नहीं है।

4– नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

5– आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष एक मुश्त आहरण न किया जाय। आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृत आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा। जो सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

6– आवंटित की जा रही धनराशि किसी भी दशा में अग्रिम के रूप में आहरित नहीं की जायेगी।

7– सामान्यतः बिना निदेशालय की अनुमति प्राप्त किये कोषागार नियम–27 से कोई धनराशि आहरण न किया जाय।

8– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

क्0पृ0उ0

First allotment CSMN 12-13

9— यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप सीधे जिम्मेदार होगा।

10— आहरण वितरण अधिकारी को बजट अगली बार तभी आवंटित किया जायेगा जब उपयुर्क्तानुसार बी0एम0–4 पर सूचना तथा अतिरिक्त बजट का औचित्य प्राप्त हो जाये।

11— यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

12— एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

13— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप मुख्य, लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयष्कर होगी।

14— वर्तमान स्थिति में शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, विशेष रूप से यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय ,पेट्रोल तथा टेलीफोन पर व्यय में मितव्ययता अवश्य बरती जाये। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या सी0ए0–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 2–9–2008 और समय–समय पर मितव्ययिता विषयक जारी किये गये शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाये ताकि अपव्यय रोका जा सके।

15— व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक), अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16— उपयुर्क्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–101–पंचायती राज–03–जिला पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदो के नामे डाला जायेगा।

17— संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

1— कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक।

2— प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 30–09–2012 तक

3— व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15–01–2013 तक

4— वर्ष 2012–13 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 05–02–2013 तक

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–83 पर अंकित है।

संलग्नक– उक्तवत्।

भवदीय,

(मुरलीधर दुबे)
निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश

संख्याः 1/शा0/64/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।

2–प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।

3–महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
4–महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
5–वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर।
7–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(मो0 मुस्तफा अन्सारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Order Report

वित्तीय वर्ष- **2012-2013**
आवंटन दिनांक- **09/08/2012**
प्रेषण दिनांक- 09/08/2012

प्रेषण संख्या:- 24
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-shaa-64-2012-1-24-2012
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2012-2013 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत)
00 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
101 - पंचायती राज
03 - जिला पंचायत प्रशासन
00 - जिला पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	01-वेतन		03-मंहगाई भत्ता		06-अन्य भत्ते		योग	
		वर्तमान	प्रगामी	वर्तमान	प्रगामी	वर्तमान	प्रगामी	वर्तमान	प्रगामी
1	छत्रपति शाहूजीमहराज नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	420000	630000	290000	435000	16000	24000	726000	1089000
	योग	420000	630000	290000	435000	16000	24000	726000	1089000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सात लाख छब्बीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस लाख नवासी हजार

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
मो0 मुस्तफा अन्सारी